प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 301 सन 2022
अनवान :–

1. विक्रम सिह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर।
2. सुखीदेवी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
3. कमला पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
4. विमला पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
5. कृष्णा पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
6. रेखा पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 110/110 की कुल 12.9030हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी पत्नी रावताराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी रावताराम वल्द मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम वल्द मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम वल्द मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 6 वादी की बुआ है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की दादी है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनसुार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज रावताराम वल्द मामराज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 110/110 की कुल 12.9030हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी पत्नी रावताराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी रावताराम वल्द मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम वल्द मामराज के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम वल्द मामराज के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 6 वादी की बुआ है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 110/110 की कुल 12.9030हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी पत्नी रावताराम के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि रावताराम वल्द मामराज के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम वल्द मामराज के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम वल्द मामराज के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 110/110 की कुल 12.9030हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी पत्नी रावताराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा एवं वादीगण 1 ,2 दोनो 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट टोपरिया

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विक्रम सिह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रोहिताश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर।
2. सुखीदेवी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
3. कमला पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
4. विमला पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
5. कृष्णा पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
6. रेखा पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 301 सन 2022 निर्णय दिनांक– 17/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 110/110 की कुल 12.9030हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी पत्नी रावताराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा एवं वादीगण 1 ,2 दोनो 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/05/2022को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट...टोपरिया...

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner